

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2022—पौष 2, शक 1944

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय, छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट,
टॉउन हॉल परिसर, टॉउन हॉल,
छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश)

वर्तमान भूमि परियोजना नक्शे के अंतिम प्रकाशन की सूचना

छिन्दवाड़ा दिनांक 19 दिसम्बर 2022

क्र. 148-नगानि-वि.यो.-बालाघाट-2022.—बालाघाट वृद्धित निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किये गये अतिरिक्त 25 ग्रामों के लिये वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र दिनांक 7 अक्टूबर 2022 में प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये. इस संबंध में कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं.

अब बालाघाट वृद्धित निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किये गये अतिरिक्त 25 ग्रामों के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र उक्त अधिनियम

की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन एतद्वारा अंगीकृत किया जाता है और उसकी प्रति दिनांक 23 दिसम्बर से 30 दिसम्बर 2022 तक कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्न कार्यालय में उपलब्ध रहेगी.

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

1. संभागायुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर (मध्यप्रदेश).
2. कलेक्टर, जिला बालाघाट.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिक परिषद्, बालाघाट.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छिन्दवाड़ा.

स्थान : छिन्दवाड़ा

दिनांक : 19 दिसम्बर 2022

व्ही. के. परस्ते, प्र. उप संचालक.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

अधिसूचना क्र. 136 एफ UDH-13/0046/2022/18-3 मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम-1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में नगर पालिका परिषद्, पीथमपुर जिला धार के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है-

अनु. क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	03	(1) वार्ड क्र. 03 नई धन्नड वार्ड (2) वार्ड क्र. 22 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड (3) वार्ड क्र. 23 मोतीनगर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 01 गवला वार्ड (2) वार्ड क्र. 18 अकोलिया वार्ड (3) वार्ड क्र. 19 बरदरी वार्ड (4) वार्ड क्र. 20 खेड़ा-जामोदी वार्ड
3.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित वार्ड	08	(1) वार्ड क्र. 05 भोडिया वार्ड (2) वार्ड क्र. 06 "बी" हाउसिंग वार्ड (3) वार्ड क्र. 08 छत्रछाया वार्ड (4) वार्ड क्र. 09 इण्डस वार्ड (5) वार्ड क्र. 12 भगतसिंह वार्ड (6) वार्ड क्र. 15 लक्ष्मीबाई वार्ड (7) वार्ड क्र. 26 जूनी सागौर वार्ड (8) वार्ड क्र. 28 पुरानी बगदून वार्ड
4.	अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 03 नई धन्नड वार्ड (2) वार्ड क्र. 22 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड
5.	अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 01 गवला वार्ड (2) वार्ड क्र. 20 खेड़ा-जामोदी वार्ड
6.	अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 08 छत्रछाया वार्ड (2) वार्ड क्र. 12 भगतसिंह वार्ड (3) वार्ड क्र. 26 जूनी सागौर वार्ड (4) वार्ड क्र. 28 पुरानी बगदून वार्ड
7	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	08	(1) वार्ड क्र. 02 पुरानी धन्नड वार्ड (2) वार्ड क्र. 07 जवाहर वार्ड (3) वार्ड क्र. 13 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड (4) वार्ड क्र. 14 विकास भवन वार्ड (5) वार्ड क्र. 21 कुटी वार्ड (6) वार्ड क्र. 24 बस स्टैण्ड वार्ड (7) वार्ड क्र. 25 सुभाष चन्द्र बोस वार्ड (8) वार्ड क्र. 27 नई बगदून वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

एफ UDH-13-0046-2022-अटारह-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 136 एफ UDH-13-0046-2022-अटारह-3. दिनांक 22 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd December 2022

Notification No. ¹³⁶ F UDH-13/0046/2022/18-3 -Madhya Pradesh Municipality (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Women) Rules-1994 as required by Rule-7 and Writ Petition by Hon'ble Supreme Court (Civil) In compliance of the order passed in number 278/2022 dated 10th May 2022, the list of wards reserved for Nagar Palika Parishad Pithampur District Dhar is published as follows

No.	Reserved Ward for Category	Total Reserved Ward's	Reserved Wards Name and number
1	No. of Wards Reserved For Schedule Caste	3	(1) Ward No. 03- New Dhannad Ward (2) Ward No. 22- Molana Abdul Kalam Azad Ward (3) Ward No. 23- Moti Nagar Ward
2	No. of Wards Reserved For Schedule Tribe	4	(1) Ward No. 01- Gwala Ward (2) Ward No. 18- Akoliya Ward (3) Ward No. 19- Bardari Ward (4) Ward No. 20- Kheda Jamodi Ward
3	No. of Ward Reserved For other Backward Classes	8	(1) Ward No. 05- Bhondiya Ward (2) Ward No. 06- 'B' Housing Ward (3) Ward No. 08- Chhatrachhaya Ward (4) Ward No. 09- Indaus Ward (5) Ward No.12- Bhagat Singh Ward (6) Ward No.15- Laxmibai Ward (7) Ward No. 26- Old Sagore Ward (8) Ward No. 28- Old Bagdun Ward
4	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Caste 50 percent Reserved wards For Scheduled Caste Women	2	(1) Ward No. 03- New Dhannad Ward (2) Ward No. 22- Molana Abdul Kalam Azad Ward
5	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Tribe 50 percent for Scheduled Tribe Women	2	(1) Ward No. 01- Gwala Ward (2) Ward No. 20- Kheda Jamodi Ward
6	No. of out of the Wards reserved For other Backward Classes 50 percent for other Backward Classes Women	4	(1) Ward No. 08- Chhatrachhaya Ward (2) Ward No. 12- Bhagat Singh Ward (3) Ward No. 26- Old Sagore Ward (4) Ward No. 28- Old Bagdun Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 &6) Women	8	(1) Ward No. 02- Old Dhannad Ward (2) Ward No. 07- Jawahar Ward (3) Ward No. 13- Lal Bahadur Shashtri Ward (4) Ward No. 14- VikasBhawan Ward (5) Ward No. 21- Kuti Ward (6) Ward No. 24- Bus Stand Ward (7) Ward No. 25- Subhash Chandra Bose Ward (8) Ward No. 27- New Bagdun Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

अधिसूचना क्र. 136 एफ UDH-13/0047/2022/18-3 मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम - 1994 के नियम - 7 की अपेक्षा अनुसार तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में नगर परिषद सरदारपुर जिला धार के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है-

अनु. क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	01	(1) वार्ड क्र. 04 शिवाजी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	05	(1) वार्ड क्र. 09 संत रविदास वाड (2) वार्ड क्र. 10 माही वार्ड (3) वार्ड क्र. 11 जवाहर वार्ड (4) वार्ड क्र. 14 शास्त्री वार्ड (5) वार्ड क्र. 08 महात्मा गांधी वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित वार्ड	01	(1) वार्ड क्र. 05 बख्तावर वार्ड
4	अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	निल	निल
5	अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	03	(1) वार्ड क्र. 08 महात्मा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र. 10 माही वार्ड (3) वार्ड क्र. 14 शास्त्री वार्ड
6	अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	निल	निल
7	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 01 तिलक वार्ड (2) वार्ड क्र. 03 अम्बेडकर वार्ड (3) वार्ड क्र. 13 सरदार पटेल वार्ड (4) वार्ड क्र. 15 भगतसिंह वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

एफ UDH-13-0047-2022-अटारह-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 136 एफ UDH-13-0047-2022-अटारह-3, दिनांक 22 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd December 2022

Notification No. **136** F UDH-13/0047/2022/18-3 Madhya Pradesh Municipality (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Women) Rules-1994 as required by Rule-7 and Writ Petition by Hon'ble Supreme Court (Civil) In compliance of the order passed in number 278/2022 dated 10th May 2022, the list of wards reserved for Nagar Parisad Sardarpur District Dhar is published as follows:-

No.	Reserved Ward for Category	Total Reserved Ward's	Reserved Wards Name and number
1	No. of Wards Reserved For Schedule Caste	01	(1) Ward No. 04- Shivaji Ward
2	No. of Wards Reserved For Schedule Tribe	05	(1) Ward No. 09- Sartravidas Ward (2) Ward No. 10- Mahi Ward (3) Ward No. 11- Jawahar Ward (4) Ward No. 14 - Shastri Ward (5) Ward No. 08- Mahatma Gandhi Ward
3	No. of Ward Reserved For other Backward Classes	01	(1) Ward No. 05- Bakhtavar Ward
4	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Caste 50 percent Reserved wards For Scheduled Caste Women	Nil	Nil
5	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Tribe 50 percent for Scheduled Tribe Women	03	(1) Ward No. 08- Mahatma Gandhi Ward (2) Ward No. 10- Mahi Ward (3) Ward No. 14 - Shastri Ward
6	No. of out of the Wards reserved For other Backward Classes 50 percent for other Backward Classes Women	Nil	Nil
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 &6) Women	04	(1) Ward No. 01- Tilak Ward (2) Ward No. 03- Ambedkar Ward (3) Ward No. 13- Sardar Patel Ward (4) Ward No. 15- Bhagatsingh Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

अधिसूचना क्र.-136 एफ UDH-13/0048/2022/18-3:: मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम - 1994 के नियम - 7 की अपेक्षा अनुसार तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में नगर परिषद कुशी जिला धार के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है-

अनु. क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	01	(1) वार्ड क्र. 10 पूर्वी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 05 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड (2) वार्ड क्र. 14 गायत्री वार्ड (3) वार्ड क्र. 15 डाक बंगला वार्ड (4) वार्ड क्र. 09 शिवाजी वार्ड
3.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 08 तिलक वार्ड (2) वार्ड क्र. 12 लालबहादुर शास्त्री वार्ड
4.	अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	निल	निल
5.	अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 09 शिवाजी वार्ड (2) वार्ड क्र. 15 डाक बंगला वार्ड
6.	अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	01	(1) वार्ड क्र. 12 लालबहादुर शास्त्री वार्ड
7	अनारक्षित वार्डों में से महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 03 सुभाष वार्ड (2) वार्ड क्र. 04 सरदार पटेल वार्ड (3) वार्ड क्र. 07 जवाहर वार्ड (4) वार्ड क्र. 13 आनंद वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

एफ UDH-13-0048-2022-अटारह-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 136 एफ UDH-13-0048-2022-अटारह-3. दिनांक 22 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd December 2022

Notification No.- 134 F UDII-13/0048/2022/18-3:: Madhya Pradesh Municipality (Reservation of Ward for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Women) Rules- 1994 as required by Rule-7 and Writ Petition by Hon'ble Supreme Court (Civil) In compliance of the order passed in number 278/2022 dated 10th May 2022. The list of wards reserved for **Nagar Parisad Kukshi district Dhar** is published as follows-

No.	Reserved Ward for Category	Total Reserved Ward's	Reserved Wards Name and number
1	No. of Wards Reserved For Schedule Caste	01	(1) Ward No. 10- Purvi Ward
2	No. of Wards Reserved For Schedule Tribe	04	(1) Ward No. 05- Chandra Shekhar Azad Ward (2) Ward No. 14- Gaytri Ward (3) Ward No. 15- Dak Bangla Ward (4) Ward No. 09- Shivaji Ward
3	No. of Ward Reserved For other Backward Classes	02	(1) Ward No. 08- Tilak Ward (2) Ward No. 12- LalbahadurShashtri Ward
4	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Caste 50 percent Reserved wards For Scheduled Caste Women	Nil	Nil
5	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Tribe 50 percent for Scheduled Tribe Women	02	(1) Ward No. 09- Shivaji Ward (2) Ward No. 15- Dak Bangla Ward
6	No. of out of the Wards reserved For other Backward Classes 50 percent for other Backward Classes Women	01	(1) Ward No. 12- LalbahadurShashtri Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 &6) Women	04	(1) Ward No. 03- Subhash Ward (2) Ward No. 04- Sardar Patel Ward (3) Ward No. 07- Jawahar Ward (4) Ward No. 13- Anand Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

अधिसूचना क्र. 136 एफ UDH-13/0049/2022/18-3 मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम - 1994 के नियम - 7 की अपेक्षा अनुसार तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में नगर पालिका परिषद मनावर जिला धार के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है-

अनु. क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	01	(1) वार्ड क्र. 09 डॉ. मुखर्जी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	03	(1) वार्ड क्र. 15 शिवभानुसिंह वार्ड (2) वार्ड क्र. 05 डॉ. राधा कृष्णन वार्ड (3) वार्ड क्र. 01 आजाद वार्ड
3.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित वार्ड	03	(1) वार्ड क्र. 13 विनोबा वार्ड (2) वार्ड क्र. 06 तिलक वार्ड (3) वार्ड क्र. 02 जवाहर वार्ड
4.	अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	निल	निल
5.	अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 15 शिवभानुसिंह वार्ड (2) वार्ड क्र. 01 आजाद वार्ड
6.	अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 06 तिलक वार्ड (2) वार्ड क्र. 13 विनोबा वार्ड
7	अनारक्षित वार्डों में से महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	03	(1) वार्ड क्र. 07 लक्ष्मीबाई वार्ड (2) वार्ड क्र. 11 नरसिंह वार्ड (3) वार्ड क्र. 12 बंकनाथ वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

एफ UDH-13-0049-2022-अठारह-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 136 एफ UDH-13-0049-2022-अठारह-3. दिनांक 22 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd December 2022

Notification No.-*136* F UDH-13/0049/2022/18-3:: Madhya Pradesh Municipality (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Women) Rules-1994 as required by Rule-7 and Writ Petition by Hon'ble Supreme Court (Civil) In compliance of the order passed in number 278/2022 dated 10th May 2022, the list of wards reserved for the **Nagar Palika Parisad Manawar, District-Dhar** is published as follows-

No.	Reserved Ward for Category	Total Reserved Ward's	Reserved Wards Name and number
1	No. of Wards Reserved For Schedule Caste	01	(1) Ward No. 09- Dr. Mukharji Ward
2	No. of Wards Reserved For Schedule Tribe	03	(1) Ward No. 15- Shivbhanusingh Ward (2) Ward No. 05- Dr. Radhakrishnan Ward (3) Ward No. 01- Ajad Ward
3	No. of Ward Reserved For other Backward Classes	03	(1) Ward No. 13- Vinoba Ward (2) Ward No. 06- Tilak Ward (3) Ward No. 02- Jawahar Ward
4	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Caste 50 percent Reserved wards For Scheduled Caste Women	Nil	Nil
5	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Tribe 50 percent for Scheduled Tribe Women	02	(1) Ward No. 15- Shivbhanusingh Ward (2) Ward No. 01- Ajad Ward
6	No. of out of the Wards reserved For other Backward Classes 50 percent for other Backward Classes Women	02	(1) Ward No. 06- Tilak Ward (2) Ward No. 13- Vinoba Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 &6) Women	03	(1) Ward No. 07- Laxmi Bai Ward (2) Ward No. 11- Narshingh Ward (3) Ward No. 12- Bankanath Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

अधिसूचना क्र-136 एफ UDH-13/0050/2022/18-3 मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम -1994 के नियम -7 की अपेक्षा अनुसार तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में नगर परिषद धरमपुरी जिला धार के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है-

अनु. क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	01	(1) वार्ड क्रं. 02 गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	01	(1) वार्ड क्रं. 06 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
3.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित वार्ड	05	(1) वार्ड क्रं. 04 शहीद भगतसिंह वार्ड (2) वार्ड क्रं. 05 सरदार पटेल वार्ड (3) वार्ड क्रं. 08 नर्मदा वार्ड (4) वार्ड क्रं. 10 शीतलामाता वार्ड (5) वार्ड क्रं. 11 डॉ. मुखर्जी वार्ड
4.	अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	निल	निल
5.	अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	निल	निल
6.	अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	03	(1) वार्ड क्रं. 04 शहीद भगतसिंह वार्ड (2) वार्ड क्रं. 10 शीतलामाता वार्ड (3) वार्ड क्रं. 11 डॉ. मुखर्जी वार्ड
7	अनारक्षित वार्डों में से महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्रं. 01 संगम वार्ड (2) वार्ड क्रं. 03 आजाद वार्ड (3) वार्ड क्रं. 07 जवाहर वार्ड (4) वार्ड क्रं. 09 तिलक वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

एफ UDH-13-0050-2022-अठारह-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 136 एफ UDH-13-0050-2022-अठारह-3. दिनांक 22 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd December 2022

Notification No. 236-F UDH-13/0050/2022/18-3 - Madhya Pradesh Municipality (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Women) Rule -1994 as required by Rule-7 and Writ Petition by Hon'ble Supreme Court (Civil) In compliance of the order passed in number 278/2022 dated 10th May 2022, the list of wards reserved for Nagar Parishad Dharampuri District Dhar is published as follows-

No.	Reserved Ward for Category	Total Reserved Ward's	Reserved Wards Name and number
1	No. of Wards Reserved For Schedule Caste	01	(1) Ward No. 02- Gandhi Ward
2	No. of Wards Reserved For Schedule Tribe	01	(1) Ward No. 06- Dr. Ambedakar Ward
3	No. of Ward Reserved For other Backward Classes	05	(1) Ward No. 04- Shahid Bhagat Singh Ward (2) Ward No. 05- Sardar Patel Ward (3) Ward No. 08- Narmada Ward (4) Ward No. 10- ShitalaMata Ward (5) Ward No. 11- Dr. Mukharji Ward
4	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Caste 50 percent Reserved wards For Scheduled Caste Women	Nil	Nil
5	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Tribe 50 percent for Scheduled Tribe Women	Nil	Nil
6	No. of out of the Wards reserved For other Backward Classes 50 percent for other Backward Classes Women	03	(1) Ward No. 04- Shahid Bhagat Singh Ward (2) Ward No. 10- ShitalaMata Ward (3) Ward No. 11- Dr. Mukharji Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 &6) Women	04	(1) Ward No. 01- Sangam Ward (2) Ward No. 03- Aazad Ward (3) Ward No. 07- Jawahar Ward (4) Ward No. 09- Tilak Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

अधिसूचना क्र. 136 एफ UDH-13/0051/2022/18-3 मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम - 1994 के नियम - 7 की अपेक्षा अनुसार तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में नगर परिषद धामनोद जिला धार के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है-

अनु. क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	01	(1) वार्ड क्रं. 14 सरदार पटेल वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	03	(1) वार्ड क्रं. 04 देवी अहिल्याबाई वार्ड (2) वार्ड क्रं. 05 संजय गांधी वार्ड (3) वार्ड क्रं. 15 राजीव गांधी वार्ड
3.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित वार्ड	03	(1) वार्ड क्रं. 10 डॉ. मुखर्जी वार्ड (2) वार्ड क्रं. 11 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड (3) वार्ड क्रं. 12 जवाहरलाल नेहरू वार्ड
4.	अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	निल	निल
5.	अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	02	(1) वार्ड क्रं. 05 संजय गांधी वार्ड (2) वार्ड क्रं. 15 राजीव गांधी वार्ड
6.	अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	02	(1) वार्ड क्रं. 11 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड (2) वार्ड क्रं. 12 जवाहरलाल नेहरू वार्ड
7	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	03	(1) वार्ड क्रं. 01 इंदिरा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्रं. 09 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड (3) वार्ड क्रं. 13 महात्मा गांधी वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

एफ UDH-13-0051-2022-अठारह-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 136 एफ UDH-13-0051-2022-अठारह-3. दिनांक 22 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd December 2022

Notification No. ~~136~~ F UDH-13/0051/2022/18-3- Madhya Pradesh Municipality (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Women) Rule -1994 as required by Rule-7 and Writ Petition by Hon'ble Supreme Court (Civil) In compliance of the order passed in number 278/2022 dated 10th May 2022, the list of wards reserved for **Nagar Parishad Dhamnod District Dhar** is published as follows-

No.	Reserved Ward for Category	Total Reserved Ward's	Reserved Wards Name and number
1	No. of Wards Reserved For Schedule Caste	01	(1) Ward No. 14- Sardar Patel Ward
2	No. of Wards Reserved For Schedule Tribe	03	(1) Ward No. 04- Devi Ahilyabai Ward (2) Ward No. 05- Sanjay Gandhi Ward (3) Ward No. 15- Rajiv Gandhi Ward
3	No. of Ward Reserved For other Backward Classes	03	(1) Ward No. 10- Dr. Mukherji Ward (2) Ward No. 11- Subhashchandra Bos Ward (3) Ward No. 12- Jawarlal Nehru Ward
4	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Caste 50 percent Reserved wards For Scheduled Caste Women	Nil	Nil
5	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Tribe 50 percent for Scheduled Tribe Women	02	(1) Ward No. 05- Sanjay Gandhi Ward (2) Ward No. 15- Rajiv Gandhi Ward
6	No. of out of the Wards reserved For other Backward Classes 50 percent for other Backward Classes Women	02	(1) Ward No. 11- Subhashchandra Bos Ward (2) Ward No. 12- Jawarlal Nehru Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 &6) Women	03	(1) Ward No. 01- Indira Gandhi Ward (2) Ward No. 09- Maharani Laxmibai Ward (3) Ward No. 13- Mahatma Gandhi Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

136 अधिसूचना क्रमांक-एफ UDH-13/0052/2022/18-3 मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम -1994 के नियम -7 की अपेक्षा अनुसार तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में नगर परिषद राजगढ़ जिला धार के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है-

अनु. क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	01	(1) वार्ड क्रं. 15 महात्मा गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	03	(1) वार्ड क्रं. 03 संजय गांधी वार्ड (2) वार्ड क्रं. 04 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड (3) वार्ड क्रं. 13 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
3.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित वार्ड	02	(1) वार्ड क्रं. 10 राजीव गांधी वार्ड (2) वार्ड क्रं. 12 सरदार पटेल वार्ड
4.	अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	निल	निल
5.	अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	02	(1) वार्ड क्रं. 03 संजय गांधी वार्ड (2) वार्ड क्रं. 04 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
6.	अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	01	(1) वार्ड क्रं. 10 राजीव गांधी वार्ड
7	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्रं. 01 इंदिरा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्रं. 09 तिलक वार्ड (3) वार्ड क्रं. 11 राजेन्द्र सूरी वार्ड (4) वार्ड क्रं. 14 भगतसिंह वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

एफ UDH-13-0052-2022-अटारह-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 136 एफ UDH-13-0052-2022-अटारह-3. दिनांक 22 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd December 2022

Notification No. 136F-UDH-13/0052/2022/18-3- -Madhya Pradesh Municipality (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Women) Rule -1994 as required by Rule-7 and Writ Petition by Hon'ble Supreme Court (Civil) In compliance of the order passed in number 278/2022 dated 10th May 2022, the list of wards reserved for the city council Rajgarh District Dhar is published as follows-

No.	Reserved Ward for Category	Total Reserved Ward's	Reserved Wards Name and number
1	No. of Wards Reserved For Schedule Caste	01	(1) Ward No. 15- Mahatma Gandhi Ward
2	No. of Wards Reserved For Schedule Tribe	03	(1) Ward No. 03- Sanjay Gandhi Ward (2) Ward No. 04- Chandrashekhar Azad Ward (3) Ward No. 13- Lal Bahaddur Shastri Ward
3	No. of Ward Reserved For other Backward Classes	02	(1) Ward No. 10- Rajiv Gandhi Ward (2) Ward No. 12- Sardar Patel Ward
4	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Caste 50 percent Reserved wards For Scheduled Caste Women	Nil	Nil
5	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Tribe 50 percent for Scheduled Tribe Women	02	(1) Ward No. 03- Sanjay Gandhi Ward (2) Ward No. 04- Chandrashekhar Azad Ward
6	No. of out of the Wards reserved For other Backward Classes 50 percent for other Backward Classes Women	01	(1) Ward No. 10- Rajiv Gandhi Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 &6) Women	04	(1) Ward No. 01- Indira Gandhi Ward (2) Ward No. 09- Tilak Ward (3) Ward No. 11- Rajendrasuri Ward (4) Ward No. 14- Bhagat singh Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

अधिसूचना क्र 136-एफ UDH-13/0053/2022/18-3- मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम -1994 के नियम -7 की अपेक्षा अनुसार तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में नगर पालिका परिषद धार जिला धार के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है-

अनु. क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 06 सिद्धनाथ वार्ड (2) वार्ड क्र. 30 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	05	(1) वार्ड क्र. 08 ठक्कर बप्पा वार्ड (2) वार्ड क्र. 11 बिहारीलाल वार्ड (3) वार्ड क्र. 27 नेता जी सुभाष वार्ड (4) वार्ड क्र. 07 फडके वार्ड (5) वार्ड क्र. 29 अमर शहीद राणा बख्तावर सिंह वार्ड
3.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित वार्ड	07	(1) वार्ड क्र. 18 मुंशी प्रेमचन्द्र वार्ड (2) वार्ड क्र. 21 मौलाना आजाद वार्ड (3) वार्ड क्र. 09 महात्मा गांधी वार्ड (4) वार्ड क्र. 05 संजय गांधी वार्ड (5) वार्ड क्र. 28 भोज वार्ड (6) वार्ड क्र. 26 छत्रपति शिवाजी वार्ड (7) वार्ड क्र. 23 महावीर वार्ड
4.	अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	01	(1) वार्ड क्र. 30 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
5.	अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	03	(1) वार्ड क्र. 08 ठक्कर बप्पा वार्ड (2) वार्ड क्र. 27 नेता जी सुभाष वार्ड (3) वार्ड क्र. 29 अमर शहीद राणा बख्तावर सिंह वार्ड
6.	अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 05 संजय गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र. 09 महात्मा गांधी वार्ड (3) वार्ड क्र. 26 छत्रपति आजाद वार्ड (4) वार्ड क्र. 21 मौलाना आजाद वार्ड
7	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	07	(1) वार्ड क्र. 01 गणपति वार्ड (2) वार्ड क्र. 04 स्वामी विवेकानन्द वार्ड (3) वार्ड क्र. 14 लोकमान्य तिलक वार्ड (4) वार्ड क्र. 16 सरदार पटेल वार्ड (5) वार्ड क्र. 17 धारेश्वर वार्ड (6) वार्ड क्र. 19 आन्नद राव पवार वार्ड (7) वार्ड क्र. 22 लाला लाजपतराय वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

एफ UDH-13-0053-2022-अटारह-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 163 एफ UDH-13-0053-2022-अटारह-3. दिनांक 22 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd December 2022

Notification No.-136 F UDH-13/0053/2022/18-3 - Madhya Pradesh Municipality (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Women) Rule -1994 as required by Rule-7 and Writ Petition by Hon'ble Supreme Court (Civil) In compliance of the order passed in number 278/2022 dated 10th May 2022, the list of wards reserved for Nagar Palika Parishad Dhar District Dhar is published as follows-

No.	Reserved Ward for Category	Total Reserved Ward's	Reserved Wards Name and number
1-	No. of Wards Reserved For Schedule Caste	02	(1) Ward No. 06- Siddhnath ward (2) Ward No. 30- Doctor Ambedkar ward
2-	No. of Wards Reserved For Schedule Tribe	05	(1) Ward No. 08- ThakkarBappa ward (2) Ward No. 11- BihariLal ward (3) Ward No. 27- Netaji Subhash ward (4) Ward No. 07- fadke ward (5) Ward No. 29- Amar Shahid Ranabakhtawar Singh ward
3-	No. of Ward Reserved For other Backward Classes	07	(1) Ward No. 18- Munshi Premchand ward (2) Ward No. 21- Maulana Azad ward (3) Ward No. 09- Mahatma Gandhi ward (4) Ward No. 05- Sanjay Gandhi ward (5) Ward No. 28- Bhoj ward (6) Ward No. 26- Chhatrapati Shivaji ward (7) Ward No. 23- mahaveer ward
4-	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Caste 50 percent Reserved wards For Scheduled Caste Women	01	(1) Ward No. 30- Doctor Ambedkar ward
5-	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Tribe 50 percent for Scheduled Tribe Women	03	(1) Ward No. 08- ThakkarBappa ward (2) Ward No. 27- Netaji Subhash ward (3) Ward No. 29- Amar Shahid Ranabakhtawar Singh ward
6-	No. of out of the Wards reserved For other Backward Classes 50 percent for other Backward Classes Women	04	(1) Ward No. 05- Sanjay Gandhi ward (2) Ward No. 09- Mahatma Gandhi ward (3) Ward No. 26- ChhatrapatiShivaji ward (4) Ward No. 21- Maulana Azad ward
7-	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 &6) Women	07	(1) Ward No. 01- Ganpati ward (2) Ward No. 04- Swami Vivekanand ward (3) Ward No. 14- LokmanyaTilak ward (4) Ward No. 16- sardar Patel ward (5) Ward No. 17- dhareshwar ward (6) Ward No. 19- AnandRaoPawar ward (7) Ward No. 22 LalajpatRai ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

अधिसूचना क्र. 136 -एफ UDH-13/0054/2022/18-3 - मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम -1994 के नियम -7 की अपेक्षा अनुसार तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में नगर परिषद डही जिला धार के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है-

अनु. क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	01	(1) वार्ड क्रं. 03 कबीर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	08	(1) वार्ड क्रं. 01 पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड (2) वार्ड क्रं. 06 रैदास वार्ड (3) वार्ड क्रं. 09 केलियाकुआँ एवं जमरापुरा वार्ड (4) वार्ड क्रं. 10 सुराणी फल्या वार्ड (5) वार्ड क्रं. 11 सुराणी फल्या इंदिरा कॉलोनी वार्ड (6) वार्ड क्रं. 12 घोडापाटी वार्ड (7) वार्ड क्रं. 14 दशरखेडा वार्ड (8) वार्ड क्रं. 15 पटेलपुरा वार्ड
3.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित वार्ड	निल	निल
4.	अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	निल	निल
5.	अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्रं. 09 केलियाकुआँ एवं जमरापुरा वार्ड (2) वार्ड क्रं. 10 सुराणी फल्या वार्ड (3) वार्ड क्रं. 11 सुराणी फल्या इंदिरा कॉलोनी वार्ड (4) वार्ड क्रं. 12 घोडापाटी वार्ड
6.	अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	निल	निल
7	अनारक्षित वार्डों में से महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	03	(1) वार्ड क्रं. 05 मौलाना आजाद वार्ड (2) वार्ड क्रं. 07 सदर बाजार पंडित दीनदयाल वार्ड (3) वार्ड क्रं. 08 सदर बाजार एवं सोनी मोहल्ला चन्द्रशेखर वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

एफ UDH-13-0054-2022-अठारह-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 136 एफ UDH-13-0054-2022-अठारह-3. दिनांक 22 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd December 2022

Notification No.-136 F- UDH-13/0054/2022/18-3 -Madhya Pradesh Municipality (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Women) Rule -1994 as required by Rule-7 and Writ Petition by Hon'ble Supreme Court (Civil) In compliance of the order passed in number 278/2022 dated 10th May 2022, the list of wards reserved for Nagar Parishad Dahi District Dhar is published as follows-

No.	Reserved Ward for Category	Total Reserved Ward's	Reserved Wards Name and number
1	No. of Wards Reserved For Schedule Caste	01	(1) Ward No. 03- Kabir Ward
2	No. of Wards Reserved For Schedule Tribe	08	(1) Ward No. 01- Pandit Jawaharlal Nehru Ward (2) Ward No. 06- Raidas Ward (3) Ward No. 09- Kelyakuwa&Jamrapura Ward (4) Ward No. 10- SuraniFalya Ward (5) Ward No. 11- SuraniFalya Indira Colony Ward (6) Ward No. 12- Ghodapati Ward (7) Ward No. 14- Dasarkheda Ward (8) Ward No. 15- Patelpura Ward
3	No. of Ward Reserved For other Backward Classes	Nil	Nil
4	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Caste 50 percent Reserved wards For Scheduled Caste Women	Nil	Nil
5	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Tribe 50 percent for Scheduled Tribe Women	04	(1) Ward No. 09- Kelyakuwa&Jamrapura Ward (2) Ward No. 10- SuraniFalya Ward (3) Ward No. 11- SuraniFalya Indira Colony Ward (4) Ward No. 12- Ghodapati Ward
6	No. of out of the Wards reserved For other Backward Classes 50 percent for other Backward Classes Women	Nil	Nil
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 &6) Women	03	(1) Ward No. 05- MolanaAzad Ward (2) Ward No. 07- Sadar Bazar PanditDindayal ward (3) Ward No. 08- Sadar Bazar &SoniMohalla Chandrasekhar Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

अधिसूचना क्र. 137 एफ UDH-13/0055/2022/18-3- मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम -1994 के नियम -7 की अपेक्षा अनुसार तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में नगर पालिका परिषद बड़वानी जिला बड़वानी के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है-

क्र	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	2	(1) वार्ड क्रमांक 11 डॉ. अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 24 भगतसिंह वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	6	(1) वार्ड क्रमांक 03 आशाग्राम वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 04 शास्त्री वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 08 मौलाना आजाद वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 10 सेंगाव वार्ड (5) वार्ड क्रमांक 22 तुलसीदास वार्ड (6) वार्ड क्रमांक 23 गहावीर वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	4	(1) वार्ड क्रमांक 01 राजेन्द्र वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 13 इन्दिरा वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 17 दशहरा वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 21 महालक्ष्मी वार्ड
4	अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	1	(1) वार्ड क्रमांक 24 भगतसिंह वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	3	(1) वार्ड क्रमांक 04 शास्त्री वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 08 मौलाना आजाद वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 10 सेंगाव वार्ड
6	अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	2	(1) वार्ड क्रमांक 01 राजेन्द्र वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 17 दशहरा वार्ड
7	आरक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	6	(1) वार्ड क्रमांक 12 रैदास वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 14 कालका देवी वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 15 डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 16 जनकेश्वर वार्ड (5) वार्ड क्रमांक 18 लक्ष्मी लॉकीज वार्ड (6) वार्ड क्रमांक 20 जवाहर वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

एफ UDH-13-0055-2022-अटारह-3- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 137 एफ UDH-13-0055-2022-अटारह-3. दिनांक 22 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd December 2022

Notification No. ~~137~~ F UDH-13/OO55/2022/18-3- Madhya Pradesh Municipality (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Women) Rule -1994 as required by Rule-7 and Writ Petition by Hon'ble Supreme Court (Civil) In compliance of the order passed in number 278/2022 dated 10th May 2022, the list of wards reserved for **Nagar Palika Parishad Barwani, District Barwani** is published as follows-

No.	Reserved Wards for Category	Total Wards	Reserved Ward' name and Number
1	No. of Wards Reserved For Schedule Caste	2	(1) Ward No 11 Dr. Ambedkar Ward (2) ward No 24 Bhagat Singh Ward
2	No. of Wards Reserved For Schedule Tribe	6	(1) Ward No 03 Aashagram Ward (2) Ward No 04 Shashtri Ward (3) Ward No 08 Moulana Aazad Ward (4) Ward No 10 Sengoan Ward (5) Ward No 22 Tulsidas Ward (6) Ward No 23 Mahaveer Ward
3	No. of Ward Reserved For other Backward Classes	4	(1) Ward No 01 Rajendra Ward (2) Ward No 13 Indira Ward (3) Ward No 17 Dasherah Ward (4) Ward No 21 Mahalaxmi Ward
4	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Caste 50 percent Reserved wards For Scheduled Caste Women	1	(1) Ward No 24 Bhagat singh Ward
5	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Tribe 50 percent for Scheduled Tribe Women	3	(1) Ward No 04 Shashtri Ward (2) Ward No 08 Moulana Aazad Ward (3) Ward No 10 Sengoan Ward
6	No. of out of the Wards reserved For other Backward Classes 50 percent for other Backward Classes Women	2	(1) Ward No 01 Rajendra Ward (2) Ward No 17 Dasherah Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 &6) Women	6	(1) Ward No 12 Raidas Ward (2) Ward No 14 KalkaDevi Ward (3) Ward No 15 Dr. Jakir Husain Ward (4) Ward No 16 Jankeshwar Ward (5) Ward No 18 Laxmi Talkies Ward (6) Ward No 20 Jawahar Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

अधिसूचना क्र. 137 एफ UDH-13/0056/2022/18-3— मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम -1994 के नियम -7 की अपेक्षा अनुसार तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में नगर परिषद अंजड जिला बडवानी के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है—

क्र	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	3	(1) वार्ड क्रमांक 08 जवाहर वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 13 डॉ. अम्बेडकर वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 15 नगरीमाता वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	3	(1) वार्ड क्रमांक 01 नर्मदा सागर वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 05 सावरकर वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 06 मुखर्जी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	1	(1) वार्ड क्रमांक 02 धानमंडी वार्ड
4	अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	2	(1) वार्ड क्रमांक 08 जवाहर वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 15 नगरीमाता वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	2	(1) वार्ड क्रमांक 01 नर्मदा सागर वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 06 मुखर्जी वार्ड
6	अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	निरंक	निरंक
7	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	4	(1) वार्ड क्रमांक 09 राणाप्रताप वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 10 आजाद वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 11 गांधी वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 14 प्रजापति वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

एफ UDH-13-0056-2022-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 137 एफ UDH-13-0056-2022-अठारह-3. दिनांक 22 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd December 2022

Notification No. 37 F UDH-13/0056/2022/18-3- Madhya Pradesh Municipality (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Women) Rule -1994 as required by Rule-7 and Writ Petition by Hon'ble Supreme Court (Civil) In compliance of the order passed in number 278/2022 dated 10th May 2022, the list of wards reserved for **Nagar Parishad Anjad, District Barwani** is published as follows-

No.	Reserved Wards for Category	Total Wards	Reserved Ward' name and Number
1	No. of Wards Reserved For Schedule Caste	3	(1) Ward No 08 Jawahar Ward (2) ward No 13 Dr. Ambedkar Ward (3) ward No 15 Nagrimata Ward
2	No. of Wards Reserved For Schedule Tribe	3	(1) Ward No 01 Narmda Sagar Ward (2) ward No 05 Sawarkar Ward (3) ward No 06 Mukharji Ward
3	No. of Ward Reserved For other Backward Classes	1	(1) Ward No 02 Dhanmandi Ward
4	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Caste 50 percent Reserved wards For Scheduled Caste Women	2	(1) Ward No 08 Jawahar Ward (2) ward No 15 Nagrimata Ward
5	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Tribe 50 percent for Scheduled Tribe Women	2	(1) Ward No 01 Narmda Sagar Ward (2) ward No 06 Mukharji Ward
6	No. of out of the Wards reserved For other Backward Classes 50 percent for other Backward Classes Women	Nil	Nil
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 &6) Women	4	(1) Ward No 09 Ranapratap Ward (2) Ward No 10 Aazad Ward (3) Ward No 11 Gandhi Ward (4) Ward No 14 Prajapati Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

अधिसूचना क्र. 137 एफ UDH-13/0057/2022/18-3— मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम -1994 के नियम -7 की अपेक्षा अनुसार तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में नगर परिषद राजपुर जिला बडवानी के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है—

क्र	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	1	(1) वार्ड क्रमांक 11 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	2	(1) वार्ड क्रमांक 02 राजीव गांधी वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 07 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	4	(1) वार्ड क्रमांक 03 प. जवाहरलाल नेहरू वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 04 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 12 डॉ. जाकीर हुसैन वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 15 प.दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
4	अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	निरंक	निरंक
5	अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	1	(1) वार्ड क्रमांक 07 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
6	अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	2	(1) वार्ड क्रमांक 04 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 12 डॉ. जाकीर हुसैन वार्ड
7	अनारक्षित वार्डों में से महिलाओं के लिए (उक्त सारल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	4	(1) वार्ड क्रमांक 01 डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 05 महात्मा गांधी वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 06 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 14 बालमकुन्द जी बैद्य वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

एफ UDH-13-0057-2022-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 137 एफ UDH-13-0057-2022-अठारह-3. दिनांक 22 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd December 2022

Notification No. 137 F UDH-13/0057/2022/18-3- Madhya Pradesh Municipality (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Women) Rule -1994 as required by Rule-7 and Writ Petition by Hon'ble Supreme Court (Civil) In compliance of the order passed in number 278/2022 dated 10th May 2022, the list of wards reserved for Nagar Parishad Rajpur, District Barwani is published as follows-

No.	Reserved Wards for Category	Total Wards	Reserved Ward' name and Number
1	No. of Wards Reserved For Schedule Caste	1	(1) Ward No 11 Dr. Ambedkar Ward
2	No. of Wards Reserved For Schedule Tribe	2	(1) Ward No 02 Rajeev Gandhi Ward (2) ward No 07 Lal Bahadur Shashtri Ward
3	No. of Ward Reserved For other Backward Classes	4	(1) Ward No 03 Pandit Jawaharlal Nehru Ward (2) Ward No 04 Netaji Subhashchandra boss Ward (3) Ward No 12 Dr. Jakir Husain Ward (4) Ward No 15 Pandit Deendayal Upadhyay Ward
4	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Caste 50 percent Reserved wards For Scheduled Caste Women	Nil	Nil
5	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Tribe 50 percent for Scheduled Tribe Women	1	(1) Ward No 07 Lal Bahadur Shashtri Ward
6	No. of out of the Wards reserved For other Backward Classes 50 percent for other Backward Classes Women	2	(1) Ward No 04 Netaji Subhashchandra boss Ward (2) Ward No 12 Dr. Jakir Husain Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 &6) Women	4	(1) Ward No 01 Dr. Shyamaprasad Mukharji Ward (2) Ward No 05 Mahatama Gandhi Ward (3) Ward No 06 Moulana Abdul Kalam Aazad Ward (4) Ward No 14 Baalmukund ji Vaidh Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

अधिसूचना क्र. 137 एफ UDH-13/0058/2022/18-3- मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम -1994 के नियम -7 की अपेक्षा अनुसार तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में नगर परिषद पानसेमल जिला बडवानी के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है-

क्र	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	2	(1) वार्ड क्रमांक 04 मौलाना आजाद वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 08 महाराणा प्रताप वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	3	(1) वार्ड क्रमांक 01 महात्मा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 06 बारकूभाई चौहान वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 14 कस्तुरबा वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	2	(1) वार्ड क्रमांक 05 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 07 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
4	अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	1	(1) वार्ड क्रमांक 08 महाराणा प्रताप वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	2	(1) वार्ड क्रमांक 06 बारकूभाई चौहान वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 14 कस्तुरबा वार्ड
6	अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	1	(1) वार्ड क्रमांक 05 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
7	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	4	(1) वार्ड क्रमांक 02 जवाहरलाल नेहरू वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 09 कमला नेहरू वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 11 जय हिन्द वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 15 चंद्रशेखर आजाद वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

एफ UDH-13-0058-2022-अठारह-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 137 एफ UDH-13-0058-2022-अठारह-3. दिनांक 22 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd December 2022

Notification No. 137 F UDH-13/0058/2022/18-3- Madhya Pradesh Municipality (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Women) Rule -1994 as required by Rule-7 and Writ Petition by Hon'ble Supreme Court (Civil) In compliance of the order passed in number 278/2022 dated 10th May 2022, the list of wards reserved for Nagar Parishad Pansemal, District Barwani is published as follows-

No.	Reserved Wards for Category	Total Wards	Reserved Ward' name and Number
1	No. of Wards Reserved For Schedule Caste	2	(1) Ward No 04 Moulana Aazad Ward (2) ward No 08 Maharana Pratap Ward
2	No. of Wards Reserved For Schedule Tribe	3	(1) Ward No 01 Mahatma Gandhi Ward (2) Ward No 06 Barkubhai Chouhan Ward (3) Ward No 14 Kasturba Ward
3	No. of Ward Reserved For other Backward Classes	2	(1) Ward No 05 Lal Bahadur Shashtri Ward (2) Ward No 07 Dr. Ambedkar Ward
4	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Caste 50 percent Reserved wards For Scheduled Caste Women	1	(1) Ward No 08 Maharana Pratap Ward
5	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Tribe 50 percent for Scheduled Tribe Women	2	(1) Ward No 06 Barkubhai Chouhan Ward (2) Ward No 14 Kasturba Ward
6	No. of out of the Wards reserved For other Backward Classes 50 percent for other Backward Classes Women	1	(1) Ward No 05 Lal Bahadur Shashtri Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 &6) Women	4	(1) Ward No 02 Jawaharlal Nehru Ward (2) Ward No 09 Kamla Nehru Ward (3) Ward No 11 Jay Hind Ward (4) Ward No 15 Chandrashekher Aazad Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

अधिसूचना क्र. 137 एफ UDH-13/0059/2022/18-3- मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम -1994 के नियम -7 की अपेक्षा अनुसार तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में नगर परिषद खेतिया जिला बडवानी के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है-

क्र	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	4	(1) वार्ड क्रमांक 01 विवेकानंद वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 02 प्रताप वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 03 डॉ. अम्बेडकर वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 08 भवानी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	2	(1) वार्ड क्रमांक 09 हनुमान मंदिर वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 15 इंदिरा गाँधी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	1	(1) वार्ड क्रमांक 10 वाल्मीकी वार्ड
4	अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	2	(1) वार्ड क्रमांक 01 विवेकानंद वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 08 भवानी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	1	(1) वार्ड क्रमांक 15 इंदिरा गाँधी वार्ड
6	अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	निरंक	निरंक
7	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	4	(1) वार्ड क्रमांक 07 लालबहादुर शास्त्री वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 11 गाँधी वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 12 सुभाष वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 13 अशोक वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

एफ UDH-13-0059-2022-अठारह-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 137 एफ UDH-13-0059-2022-अठारह-3. दिनांक 22 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd December 2022

Notification No. 37 F UDH-13/0059/2022/18-3- Madhya Pradesh Municipality (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Women) Rule -1994 as required by Rule-7 and Writ Petition by Hon'ble Supreme Court (Civil) In compliance of the order passed in number 278/2022 dated 10th May 2022, the list of wards reserved for Nagar Parishad Khetia, District Barwani is published as follows-

No.	Reserved Wards for Category	Total Wards	Reserved Ward' name and Number
1	No. of Wards Reserved For Schedule Caste	4	(1) Ward No 01 Vivekanand Ward (2) Ward No 02 Pratap Ward (3) Ward No 03 Dr. Ambedkar Ward (4) Ward No 08 Lal Bahadur Shashtri Ward
2	No. of Wards Reserved For Schedule Tribe	2	(1) Ward No 09 Hanuman Mandir Ward (2) Ward No 15 Indira Gandhi Ward
3	No. of Ward Reserved For other Backward Classes	1	(1) Ward No 10 Walmiki Ward
4	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Caste 50 percent Reserved wards For Scheduled Caste Women	2	(1) Ward No 01 Vivekanand Ward (2) Ward No 08 Lal Bahadur Shashtri Ward
5	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Tribe 50 percent for Scheduled Tribe Women	1	(1) Ward No 15 Indira Gandhi Ward
6	No. of out of the Wards reserved For other Backward Classes 50 percent for other Backward Classes Women	NIL	NIL
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 &6) Women	4	(1) Ward No 07 Lalbahadur shashtri Ward (2) Ward No 11 Gandhi Ward (3) Ward No 12 Subhash Ward (4) Ward No 13 Ashok Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

अधिसूचना क्र. 37 एफ UDH-13/0060/2022/18-3- मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम -1994 के नियम -7 की अपेक्षा अनुसार तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में नगर परिषद पलसूद जिला बड़वानी के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है-

क्र	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	1	(1) वार्ड क्रमांक 11 बालगंगाधर तिलक वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	6	(1) वार्ड क्रमांक 01 महात्मा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 02 लाला लाजपत राय वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 12 डॉक्टर अम्बेडकर वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 13 वीर भगतसिंह वार्ड (5) वार्ड क्रमांक 14 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड (6) वार्ड क्रमांक 15 नेता जी सुभाषचंद्र बोस वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	निरंक	निरंक
4	अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	निरंक	निरंक
5	अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	3	(1) वार्ड क्रमांक 01 महात्मा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 12 डॉक्टर अम्बेडकर वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 13 वीर भगतसिंह वार्ड
6	अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	निरंक	निरंक
7	अनारक्षित वार्डों में से महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	4	(1) वार्ड क्रमांक 03 इंदिरा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 04 पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 07 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 10 बालमुकुंद वैद्य वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

एफ UDH-13-0060-2022-अठारह-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 137 एफ UDH-13-0060-2022-अठारह-3. दिनांक 22 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd December 2022

Notification No. 37F UDH-13/0060/2022/18-3- Madhya Pradesh Municipality (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Women) Rule -1994 as required by Rule-7 and Writ Petition by Hon'ble Supreme Court (Civil) In compliance of the order passed in number 278/2022 dated 10th May 2022, the list of wards reserved for **Nagar Parishad Palsood, District Barwani** is published as follows-

No.	Reserved Wards for Category	Total Wards	Reserved Ward' name and Number
1	No. of Wards Reserved For Schedule Caste	1	(1) Ward No 11 Balgangadhar Tilak Ward
2	No. of Wards Reserved For Schedule Tribe	6	(1) Ward No 01 Mahatama Gandhi Ward (2) Ward No 02 Lala Lajpatrai Ward (3) Ward No 12 Dr. Ambedkar Ward (4) Ward No 13 Veer Bhagat Singh Ward (5) Ward No 14 Lal Bahadur Shashtri Ward (6) Ward No 15 Netaji Subhashchandra boss Ward
3	No. of Ward Reserved For other Backward Classes	NIL	NIL
4	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Caste 50 percent Reserved wards For Scheduled Caste Women	NIL	NIL
5	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Tribe 50 percent for Scheduled Tribe Women	3	(1) Ward No 01 Mahatama Gandhi Ward (2) Ward No 12 Dr. Ambedkar Ward (3) Ward No 13 Veer Bhagat Singh Ward
6	No. of out of the Wards reserved For other Backward Classes 50 percent for other Backward Classes Women	NIL	NIL
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 &6) Women	4	(1) Ward No 03 Indira Gandhi Ward (2) Ward No 04 Pandit Jawaharlal Nehru Ward (3) Ward No 07 Pandit Deendayal upadhyay Ward (4) Ward No 10 Baalmukund Vaidh Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

अधिसूचना क्र. 137 एफ UDH-13/0061/2022/18-3- मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम -1994 के नियम -7 की अपेक्षा अनुसार तथा गाननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में नगर पालिका परिषद सेंधवा जिला बडवानी के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है-

क्र	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	2	(1) वार्ड क्रमांक 04 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 07 ईसा मसीह वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	2	(1) वार्ड क्रमांक 01 संत बिनोबा वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 23 राजीव गांधी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	8	(1) वार्ड क्रमांक 06 सरदार भगतसिंह वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 09 महाराणा प्रताप वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 14 रफी अहमद किदवई वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 16 मोलाना अबुल कलाम आजाद वार्ड (5) वार्ड क्रमांक 20 प्रियदर्शिनी इंदिरा गाँधी वार्ड (6) वार्ड क्रमांक 21 रविन्द्र नाथ टेंगोर वार्ड (7) वार्ड क्रमांक 22 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड (8) वार्ड क्रमांक 24 देवी अहिल्याबाई वार्ड
4	अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	1	(1) वार्ड क्रमांक 07 ईसा मसीह वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	1	(1) वार्ड क्रमांक 23 राजीव गांधी वार्ड
6	अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	4	(1) वार्ड क्रमांक 06 सरदार भगतसिंह वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 14 रफी अहमद किदवई वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 21 रविन्द्र नाथ टेंगोर वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 22 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
7	आरक्षित वार्डों में से महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	6	(1) वार्ड क्रमांक 02 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 08 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 13 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 17 छत्रपति शिवाजी वार्ड (5) वार्ड क्रमांक 18 कस्तुरबा वार्ड (6) वार्ड क्रमांक 19 डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

एफ UDH-13-0061-2022-अठारह-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 137 एफ UDH-13-0061-2022-अठारह-3. दिनांक 22 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd December 2022

Notification No. 37F UDH-13/0061/2022/18-3- Madhya Pradesh Municipality (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Women) Rule -1994 as required by Rule-7 and Writ Petition by Hon'ble Supreme Court (Civil) In compliance of the order passed in number 278/2022 dated 10th May 2022, the list of wards reserved for **Nagar Palika Parishad Sendhwa, District Barwani** is published as follows-

No.	Reserved Wards for Category	Total Wards	Reserved Ward' name and Number
1	No. of Wards Reserved For Schedule Caste	2	(1) Ward No 04 Dr. Bheemrao Ambedkar Ward (2) ward No 07 Isha Masih Ward
2	No. of Wards Reserved For Schedule Tribe	2	(1) Ward No 01 Sant Vinoba Ward (2) Ward No 23 Rajeev Gandhi Ward
3	No. of Ward Reserved For other Backward Classes	8	(1) Ward No 06 Sardar Bhagat singh ward (2) Ward No 09 Maharana Pratap Ward (3) Ward No 14 Rafi Ahmad Kidwai Ward (4) Ward No 16 Moulana Abul Kalam Aazad Ward (5) Ward No 20 Priyadarshani Indira Gandhi Ward (6) Ward No 21 Ravindranath Tagour Ward (7) Ward No 22 Maharani Laxmibai Ward (8) Ward No 24 Devi Ahilyabai Ward
4	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Caste 50 percent Reserved wards For Scheduled Caste Women	1	(1) Ward No 07 Isha Masih Ward
5	No. of out of the Wards reserved For Scheduled Tribe 50 percent for Scheduled Tribe Women	1	(1) Ward No 23 Rajeev Gandhi Ward
6	No. of out of the Wards reserved For other Backward Classes 50 percent for other Backward Classes Women	4	(1) Ward No 06 Sardar Bhagat singh ward (2) Ward No 14 Rafi Ahmad Kidwai Ward (3) Ward No 21 Ravindranath Tagour Ward (4) Ward No 22 Maharani Laxmibai Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 &6) Women	6	(1) Ward No 02 Lal Bahadur Shashtri Ward (2) Ward No 08 Chandrashekhar Aazad Ward (3) Ward No 13 Dr. Rajendra Prasad Ward (4) Ward No 17 Chhatrapati Shivaji Ward (5) Ward No 18 Kasturbaa Ward (6) Ward No 19 Dr. Jakir Husain Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.